न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

वाद सं0 – 65/2024

अनवान : –

1. सुखदेव पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. सुशीलादेवी पुत्री बीरबल पत्नी धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी गढड़ा हाल रामसरा त0 राजगढ जिला चुरू।
3. सुमित्रा पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए 1955
उपस्थिति :–श्री महेश कुमार बंसल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 13/12/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 159/160 के खसरा सं0 2 की 11.799है0 प्रार्थी सं0 1 का 8/75 हिस्सा , प्रार्थीया सं0 2 का 1/25 हिस्सा एवं प्रार्थीया सं0 3 का 1/25 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपरोक्त विर्णित वाद भूमि में प्रार्थी सं0 1 का नाम सतीश पुत्र बीरबल प्रार्थी सं0 2 का सुमन पुत्री बीरबल व प्रार्थीया सं0 3 नाम सुमित्रादेवी पत्नी बीरबल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः सुखदेव पुत्र बीरबल, सुशीलादेवी पुत्री बीरबल तथा सुमित्रा पत्नी बीरबल है। उपरोक्त अशुद्वि राजस्व रिकार्ड में विरासतन नाम दर्ज करते समय संवहन से दर्ज हो गई। इस प्रकार प्रार्थीगण का नाम अलग–अलग दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई ।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी सुखदेव पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी गढड़ा ने दसतावेज प्रर्दशित करवायें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी सं0 1 का नाम सतीश पुत्र बीरबल प्रार्थी सं0 2 का सुमन पुत्री बीरबल व प्रार्थीया सं0 3 नाम सुमित्रादेवी पत्नी बीरबल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः सुखदेव पुत्र बीरबल, सुशीलादेवी पुत्री बीरबल तथा सुमित्रा पत्नी बीरबल है। उपरोक्त अशुद्वि राजस्व रिकार्ड में विरासतन नाम दर्ज करते समय संवहन से दर्ज हो गई। इस प्रकार प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

नाम अलग–अलग दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। राजस्व रिकार्ड में नामों में अन्तर होने के कारण प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों व रिपॉर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 159/160 के खसरा सं0 2 की 11.799है0 प्रार्थी सं0 1 का 8/75 हिस्सा , प्रार्थीया सं0 2 का 1/25 हिस्सा एवं प्रार्थीया सं0 3 का 1/25 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है प्रार्थी सं0 1 का नाम सतीश पुत्र बीरबल प्रार्थी सं0 2 का सुमन पुत्री बीरबल व प्रार्थीया सं0 3 नाम सुमित्रादेवी पत्नी बीरबल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीगण का सही नाम सुखदेव पुत्र बीरबल, सुशीलादेवी पुत्री बीरबल व सुमित्रा पत्नी बीरबल है । तहसीलदार भादरा द्वारा प्राप्त रिपॉर्ट में उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय होना बताया है। इस प्रकार वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वे रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 159/160 के खसरा सं0 2 की 11.799है0 प्रार्थी सं0 1 का 8/75 हिस्सा , प्रार्थीया सं0 2 का 1/25 हिस्सा एवं प्रार्थीया सं0 3 का 1/25 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में सतीश पुत्र बीरबल, सुमन पुत्री बीरबल, सुमित्रादेवी पत्नी बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर क्रमशः सुखदेव पुत्र बीरबल, सुशीलादेवी पुत्री बीरबल व सुमित्रा पत्नी बीरबल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि सतीश पुत्र बीरबल, सुमन पुत्री बीरबल के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम ही लागू होगा। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जि. हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:18 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 65/2024

अनवान : —

1. सुखदेव पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. सुशीलादेवी पुत्री बीरबल पत्नी धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी गढड़ा हाल रामसरा त0 राजगढ जिला चुरू।
3. सुमित्रा पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा जिला हनुमानगढ।

— प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंसल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 159/160 के खसरा सं0 2 की 11.799है0 प्रार्थी सं0 1 का 8/75 हिस्सा , प्रार्थीया सं0 2 का 1/25 हिस्सा एवं प्रार्थीया सं0 3 का 1/25 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में सतीश पुत्र बीरबल, सुमन पुत्री बीरबल, सुमित्रादेवी पत्नी बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर क्रमशः सुखदेव पुत्र बीरबल, सुशीलादेवी पुत्री बीरबल व सुमित्रा पत्नी बीरबल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि सतीश पुत्र बीरबल, सुमन पुत्री बीरबल के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:18 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner